यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-IV, राज्य कर, रूद्रपुर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-IV, राज्य कर, रूद्रपुर के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव, श्री रमेश कुमार केशरी एवं श्रीमती रेखा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियो द्वारा दिनांक 09.01.2019 से 18.01.2019 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

(1)परिचयात्मकः इस इकाई की लेखापरीक्षा माह 09/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की श्री अजय कुमार मिश्रा सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, एवं रवि भूषण, ले.प. द्वारा दिनांक 30.01.2018 से 07.02.2018 तक श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

1. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** - गदरपुर का क्षेत्र एवं सिडकुल सेक्टर-II DC
2. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत 3 वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (**₹लाख मे)**
2015-16	7506.26
2016-17	8147.99
2017-18	1937.91

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
शून्य								

(I) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन से मुख्यालय को, मुख्यालय से डी0डी0ओ0 द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना राजस्व सम्मिलित करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव, वित्त **>** आयुक्त कर, वाणिज्य कर**>** ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** सहायक आयुक्त , वाणिज्य कर**>** वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **उपायुक्त (क.नि)-IV राज्य कर रूद्रपुर** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-IV राज्य कर रूद्रपुर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: माह 03/2018 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2(अ)

प्रस्तर.01:–अर्थदण्ड का अनारोपण ₹ 5.62 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा-58(1)(vii) के अन्तर्गत किसी व्योहारी ने युक्ति-युक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नही किया है तो वह देय कर का कम से कम दस प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत, यदि कर ₹10000 तक हो और देय कर का 50% यदि कर ₹10000 से अधिक हो का दायी होगा।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना दिनांक 31.03.2015 के अनुसार यदि विलम्ब एक माह से कम है तो देय कर के पाँच प्रतिशत की दर से अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

कार्यालय उपायुक्त(क॰नि॰)-चतुर्थ ,राज्य कर रुद्रपुर के 04/17 से 03/18 के कर निर्धारण वादों की जांच में पाया गया कि संलग्न विवरण के अनुसार निम्नलिखित व्योवहारियों द्वारा अपना देय कर ₹ 57,44,689 विलंब से जमा किया गया,जिस पर वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में न्यूनतम 10% की दर से एवं वर्ष 2015-16 में पाँच प्रतिशत की दर से ₹ 561992 अर्थदण्ड आरोपणीय था जो कि आरोपित नहीं किया गया। उपरोक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा जंचोपरांत कार्यवाही करने की टिप्पणी की गई।

अत: ₹ 5.62 के अनारोपित अर्थदण्ड का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक – "***क***"

देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा न करने पर अर्थदण्ड का अनारोपण

क्रम सं0	व्यौहारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर की राशि (`में)	कर जमा करने की निर्धारित तिथि	कर जमा करने की वास्तविक तिथि	विलम्ब	अर्थदण्ड की दर	अर्थदण्ड (कर का न्यूनतम 10%) (`में)
1.	सर्वश्री मैनी स्कैफ़ोल्ड सिस्टम,पंतनगर (ऊधम सिंह नगर)(टिन न॰ 05006353622)	2014-15	दिसम्बर 2014	22,00,000	20.01.2015	30.01.2015	10 दिन	10%	2,20000
		2014-15	जनवरी 2015	21,00,000	20.02.2015	14.03.2015	22 दिन	10%	2,10000
2.	सर्वश्री देवभूमी एग्रो सीड्स रुद्रपुर (ऊधम सिंह नगर)	2015-16	नवंबर 2015	2,49,510	20.12.2015	01.01.2016	12 दिन	5%	12476
3.	सर्वश्री स्टील बर्ल्ड इंटरनेशनल ,पंतनगर (ऊधम सिंह नगर)टिन न॰ 05006373604	2014-15	दिसम्बर 2014	2,54,147	20.01.2015	31.01.2015	11 दिन	10%	25,414
4.	सर्वश्री कैलाश वाहन उद्योग लिमिटेड ,पंतनगर 05011263471	2013-14	अगस्त 2013	5,08,878	25.09.2013	30.09.2013	05 दिन	10%	50,887
5.	सर्वश्री राइट टाइट फास्टनर्स, पंतनगर टिन-05009734654	2014-15	प्रथम तिमाही (अप्रैल -जून)	4,32,154	20.07.2014	20.08.2014	एक माह	10%	43,215
									561992

भाग 2 (ब)

प्रस्तर -01 आई टी सी को रिवर्स न किए जाने एवं कर के अनारोपण से राजस्व क्षति ₹9.13 लाख।

उत्तराखंड शासन की अधिसूचना 282/xxxvi (3)/2017/ 41(1)/ 2017 दिनांक 30.06.2017 के द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 25-क मे संशोधन करते हुये स्वतः कर निर्धारण किए जाने का प्रावधान निम्नलिखित शर्तो के अधीन किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। दो- ऐसे मामले, जिनमे केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 अथवा उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, **2005** मे विनिर्दिष्ट प्रविधानों के अंतर्गत कोई कर मुक्ति, रियायत अथवा रिबेट का दावा किया गया हो, मे वार्षिक विवरणी तथा ऐसे दावो के समर्थन मे संबन्धित अधिनियम एवं नियम के प्राविधानों के अनुसार अपेक्षित घोषणा, प्रमाण पत्र अथवा साक्ष्य इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से पूर्व अथवा को अथवा इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 90 दिन के भीतर दाखिल कर दिये गए हो एवं उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 6(8)(i) के प्रावधानों के अनुसार खरीद वापसी, इन्सेन्टिव आदि पर आई.टी.सी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार किसी व्यौहारी द्वारा अथवा व्यक्ति द्वारा राज्य के भीतर किये गयें प्रत्येक विक्रय पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत कर आरोपित किया जायेगा तथा अधिनियम की धारा 58(1)(xiv)के अनुसार मिथ्या लेखा रजिस्टर या दस्तावेज रखा है या प्रस्तुत किया है वो कर की उस धनराशि का कम से कम 50% किन्तु 200% से अनधिक जो तद द्वारा परिवर्णित हो जाती, अर्थदण्ड का भागी होगा।

कार्यालय उप आयुक्त (क0नि0)-04, राज्य कर विभाग, रुद्रपुर के अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि दसमेश ट्रैक्टर & फार्म इक्यूपमेंट टिन 05006099870 स्वतः कर निर्धारण वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 मे ट्रैक्टर की प्रांतीय खरीद पर क्रमशः `17,26,86,200 पर 5 प्रतिशत की दर से `86,34,310 एवं `13,81,71,817 पर 5 प्रतिशत की दर से `69,08,590 की आई टी सी का दावा किया गया है। वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 के ट्रेडिंग एकाउंट के अनुसार **Sales Incentive Received** क्रमशः `52,61,329 एवं `61,66,459 दर्शाया गया था। उक्त के संबंध मे न तो क्रेडिट नोट संलग्न था न ही विक्रेता व्यापारी द्वारा अपनी बिक्री मे उक्त धनराशि को शामिल किए जाने संबंधी उपलब्ध कराया गया प्रमाण पत्र ही संलग्न किया गया था। अतः उक्त धनराशि पर दावाकृत आई टी सी `5,71,388 (`52,61,329 x 5 प्रतिशत +`61,66,459 x 5 प्रतिशत) रिवर्स योग्य थी। उपरोक्त दावा के समर्थन मे प्रपत्र संलग्न न किए जाने के बाद भी उक्त कर का निर्धारण स्वतः मे कर दिया गया है।

उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 मे ट्रैक्टर पार्ट्स की कम बिक्री दर्शाई गयी है। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

स्वतः कर निर्धारण वर्ष	प्रा0 अवशेष	क्रय	योग	अंतिम शेष	बिना लाभ को शामिल किए कम से कम की जाने वाली बिक्री	दर्शायी गयी बिक्री	कम बिक्री जिस पर कर आरोपणीय था
01	02	03	04	05	06 (04-05)	07	08 (06-07)
2013-14	64,41,400	49,34,657	1,13,76,057	74,94,900	38,81,157	11,97,784	26,83,373
2014-15	74,94,900	63,16,348	1,38,11,248	83,84,150	54,27,098	12,82,045	41,45,053
धनराशि जिस पर कर आरोपणीय था।							68,28,426

उपरोक्त विवरण के अनुसार घोषित बिक्री `68,28,426 पर 5 प्रतिशत की दर से `3,41,421 का कर व्यापारी पर आरोपणीय था एवं इस पर नियमानुसार अर्थदण्ड भी आरोपणीय था।

उक्त को इंगित किए जाने विभाग द्वारा जाँचोपरान्त कार्यवाही करके अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया । अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2(ब)

प्रस्तर02- अनियमित कर छूट ₹1.65 लाख।

केन्द्रीय विक्रय कर नियमावली के नियम –12 (5) के अनुसार धारा 6 की उप धारा (1) निर्दिष्ट घोषणा पत्र प्रारुप च में होगा।

परन्तु एक कलेण्डर मास की अवधि के दौरान, किसी व्यवहारी द्वारा, अपने कारोबार के किसी स्थान को या अपने अभिकर्ता या मालिक को, जैसी भी स्थिति हो, किया गया माल का अन्तरण एक ही घोषणा में सम्मिलित किया जा सकेगा।

उपायुक्त(क0नि0)–4 राज्यकर विभाग रुद्रपुर में पंजीकृत व्यौहारी सर्वश्री कैलास वाहन उद्योग लि0 पंतनगर टिन–05011263471 आटोपार्टस के निर्माण व बिक्री का कारोबार करता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संव्यवहार वर्ष 2013–14 के वाद को उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा 25 (7) एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9(2) के अर्न्तगत वाद का निस्तारण किया गया। संगत वर्ष में कुल प्रान्तीय बिक्री ₹5,70,69,661.00 पर ₹76,56,685.00 कर निर्धारण किया गया। केन्द्रीय बिक्री के अन्तर्गत ₹6,76,596.00 स्वनिर्मित आटोपाटर्स का एक प्रपत्र एफ से स्टाक ट्रासफर किया गया जिसमें एक माह से इतर माहों के संव्यवहार अंकित किये जाने पाये गये।

प्रपत्र सं0	बिल सं0	बिल तिथि	धनराशि	अनियमित धनराशि
03H 508504	13000122	15.11.13	10,16,611.00	-
तदैव	13000123	15.11.13	9,93,408.00	-
तदैव	13000124	11.12.13	85,276.00	85,276.00
तदैव	13000126	11.12.13	11,35,187.00	1135187
			योग	1220463

उपरोक्त प्रावधान के अनुसार ₹1220463 के अनियमित संव्यवहार पर छूट अनुमन्य नही थी। इसलिये इस पर पूर्ण दर 13.5 प्रतिशत की दर से ₹164762(1220463X13.5%) कर अनारोपित रह गया।

उपरोक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जॉचोंपरान्त कार्यवाही किये जाने की टिप्पणी की गयी। अतः अनियमित कर छूट ₹164762 का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर -03 अर्थदण्ड एवं ब्याज का अनारोपण ` 3.44 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 35(4) के अनुसार, टी0डी0एस0 की धनराशि कटौती करने वाले व्यक्ति द्वारा उस माह, जिसमें कटौती की जाय, के आगामी माह की समाप्ति के पूर्व सरकारी कोषागार में जमा करेगा ।

अधिनियम की धारा 35(8) के अनुसार, कोई ऐसा व्यक्ति कटौती करने में असफल रहता है या कटौती करने के पश्चात् इस प्रकार काटी गयी धनराशि को उपधारा (4) की अपेक्षानुसार जमा करने में असफल रहता है, तो करनिर्धारक प्राधिकारी ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति अर्थदण्ड के रूप में इस धारा के अधीन काटने योग्य किन्तु इस प्रकार न काटी गई और यदि काटी गयी तो इस प्रकार सरकारी कोषागार में जमा न की गयी, धनराशि के दुगुने से अनधिक का भुगतान करेगा।

अधिनियम की धारा 35(9) के अनुसार, उपधारा (8) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि कोई व्यक्ति कटौती करने में असफल रहता है या कटौती करने के पश्चात् इस प्रकार काटी गई धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो वह इस धारा के अधीन काटने योग्य किन्तु इस प्रकार न काटी गयी और यदि काटी गयी तो इस प्रकार जमा न की गयी, धनराशि पर उस तारीख से जब ऐसी धनराशि कटौती योग्य थी, से उस तारीख तक जब ऐसी धनराशि वास्तव में जमा की गयी, 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का देनदार होगा ।

कार्यालय उप आयुक्त (क0नि0)-04**,** राज्य कर विभाग**,** रुद्रपुर के अभिलेखो की नमूना जांच मे पाया गया कि व्यापारी सर्व श्री कैलाश वाहन उद्योग लि0 पंतनगर टिन सं0 05011263471 द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2012-13 मे फैक्ट्री मे ठेकेदारो से कराये गए कार्यो के विरुद्ध `2**,**72,54,618 के भुगतान पर `20,13,814 की कटौती कर चालानो द्वारा जमा करने का विवरण दाखिल किया गया है। आगे जांच मे पाया गया कि व्यापारी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक विवरणी मे संबन्धित विवरण मे उल्लिखित अनुबंध 321Z01 के अंतर्गत ठेकेदार फ़र्म Zen Interior Decoration को दिनांक 31.03.2013 को बिल भुगतान पर श्रोत पर कर कटौती `1,66,560 को चालान सं0 94 दिनांक 03.10.2013 द्वारा 05 माह 03 दिन बिलंब से जमा किया गया था। अतः उपरोक्त अधिनियम की धारा के अनुसार श्रोत पर कर कटौती का दुगुना अर्थदण्ड `3**,33,120 (1,66,560 x 2)** एवं दिनांक 01.05.2013 से 03.10.2013 तक ₹166560 पर 05 माह 3 दिन पर 15 प्रतिशत वर्षिक की दर से ब्याज `10,615 देय था।

उक्त को इंगित किए जाने विभाग द्वारा जाँचोप्रान्त कार्यवाही करके के अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया । अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-04 कम आरोपित समाधान धनराशि ₹ 0.41 लाख।

वित अनुभाग–8 उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या–330 / 2012 / 14(120) / XXVII (8)06दिनॉक 17 अप्रैल 2012 के पैरा (4) (क)के अनुसार जिन मामलों में संविदाकार द्वारा वित्तीय वर्ष में निष्पादित ठेके की कुल धनराशि के पॉच प्रतिशत तक माल के आयात का प्रयोग किया गया हो, उसमें उपरोक्तानुसार आगणित धनराशि के चार प्रतिशत की दर से समाधान राशि की गणना की जायेगी।

वित अनुभाग–8 उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या–627 / 2012 / 14 / XXVII (8)06दिनॉक 03 जुलाई 2012 के अनुसार सिविल एवं विद्युत संविदाकार जो संविदा की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत तक आयात करेंगें उन पर 4 प्रतिशत के समतुल्य समाधान राशि की करदेयता बनती है तथा 5 प्रतिशत तक आयात करने वाले से अभिप्राय 0 से 5 प्रतिशत तक है, अत; आयात न करने वाले संविदाकार भी इस श्रेणी में माने जायेंगे

कार्यालय उपायुक्त क0नि0 –4, राज्यकर विभाग, रुद्रपुर के माह 04 / 2017 से 03 / 2018 तक के अभिलेखों की जॉच के दौरान पाया गया कि व्यौहारी सर्व श्री पवनकुमार दीपक कुमार कान्ट्रेक्टर टिन 05008068873 विभाग में पंजीकृत है। संव्यवहार वर्ष 2013–14 के कर निर्धारण वाद की जॉच में पाया गया कि संविदा वर्ष 2012–13 में समाधान राशि दो प्रतिशत की दर से निर्धारित की गयी थी। जबकि उल्लिखित भुगतान की धनराशि पर चार प्रतिशत की दर से समाधान राशि का निर्धारण किया जाना था। जिसका विवरण निम्नवत है–

क्रं.सं.	संविदा सं. / तिथि	भुगतान की धनराशि (₹में)	2 प्रतिशत की दर से निर्धारित समाधान राशि (₹)	4 प्रतिशत की दर से देय समाधान धनराशि (₹)
1.	02 / AE/21-02-13	2,61,215.00	5224.00	10,449.00
2.	354 / 01.01.13	9,21,690.00	18433.00	36,868.00
3.	354 / 01.01.13	340,000.00	6800.00	13,600.00
4	354 / 01.01.13	3,74,062.00	7481	14,962.00
5	354 / 01.01.13	70,858.00	1417.00	2834.00
6	354 / 01.01.13	75,810.00	1516.00	3032.00
	योग	20,43,635.00	40871	81745.00

इस प्रकार अन्तरीय दर 2 प्रतिशत **से** ₹40874.00(81745–40871) समाधान धनराशि अनारोपित रह गयी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा के इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा जॉचोंपरान्त कार्यवाही किये जाने की टिप्पणी की गयी। अतः कम आरोपित समाधान धनराशि ₹40,874.00का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर 05- आई टी सी रिवर्स न किए जाने से राजस्व क्षति ` 1.07 लाख

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 2(31) के अनुसार क्रय कीमत से किसी माल के क्रय के लिये किसी व्यक्ति द्वारा, कारोबार प्रथा के अनुसार नकद डिस्काउन्ट के रूप में विक्रेता द्वारा अनुज्ञात किसी रकम को घटाकर संदत्त या देय मूल्यवान प्रतिफल की रकम अभिप्रेत है । साथ ही, धारा 6 (8) (झ) के अनुसार, ऐसे माल जो चोरी हो गया है, या खो गया है या नष्ट हो गया है या कारोबार के सामान्य अनुक्रम से भिन्न रीति से निस्तारित कर दिया गया है या निःशुल्क सैम्पल या उपहार के रूप में वितरित किया गया है, पर पूंजीगत माल से भिन्न माल के क्रय की उपरोक्त दशाओं में इनपुट टैक्स का लाभ अनुमन्य नहीं होगा ।

कार्यालय उप आयुक्त (क0नि0)-04**,** राज्य कर विभाग**,** रुद्रपुर के अभिलेखो की लेखापरीक्षा के दौरान सर्वश्री विनायक फर्टीलाइजर्स एण्ड पेस्टीसाइड्स, गदरपुर, टिन नं0 05004700354 कर निर्धारण वर्षः-2013-14 की पत्रावली/कर निर्धारण आदेश दिनांक 06.05.2017 की जांच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा पेस्टीसाइड व फर्टीलाइजर्स की प्रान्तीय खरीद पर 5% की दर से कुल ` 13,06,150 की आई0टी0सी0 क्लेम की गयी थी । व्यापारी के अभिलेख चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा आडिट किए गए थे तथा बैलेन्स शीट की प्रति दाखिल की गयी थी । बैलेन्स शीट के अनुसार ` 21,51,648.77 का स्कीम, रीबेट व डिस्काउण्ट के रूप में प्राप्त किया जाना दर्शाया गया था ।आगे जांच में पाया गया कि व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में उपरोक्त क्रय में से ` 21,51,648.77 का स्कीम, रीबेट व डिस्काउण्ट राशि पर आई0टी0सी0 क्लेम किया गया था । अतः क्रय की गयी प्रान्तीय पेस्टीसाइड एवं फर्टीलाईजर्स में से ` 21,51,648.77 का स्कीम, रीबेट व डिस्काउन्ट पर दी गयी आई0टी0सी0 ` 1,07,582 (` 21,51,648.77 का 5%) अनुमन्य नहीं था । साथ ही, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की उपरोक्त धारा 58 (1) (xi) के अनुसार, मिथ्या या गलत आई0टी0सी0 का तीन गुना अर्थदण्ड भी आरोपणीय है ।

उक्त को इंगित किए जाने विभाग द्वारा जाँचोपरान्त कार्यवाही करके अवगत कराये जाने का आश्वासन दिया गया ।अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
CT-145/2017-18	--	01,03,04

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या :

CT-145/2017-18

व्यय से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -**टिप्पणी शून्य

भाग-V

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-IV, राज्य कर, रूद्रपुर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
(i)	श्री एन0एस0 बोरा	उपायुक्त	01.04.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय उपायुक्त (कर निर्धारण)-IV, राज्य कर, रूद्रपुर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

व0 लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र